

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक: F26(4)() विटामिन-ए/IEC/ICDS/2017-18/187976-8028 जयपुर, दिनांक : 24-10-18
उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय:— विटामिन-ए के 36 वें चरण के संबंध में।

प्रसंग:— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का पत्र क्रमांक 389 दिनांक 15.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि विटामिन-ए के 36 वें चरण जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से 30 नवंबर, 2018 तक चलाया जाना था, को किन्हीं अपिर्हार्य कारणों से 30 अक्टूबर, 2018 से नहीं चलाया जायेगा। उक्त विटामिन-ए चरण सम्पादन की अगली तारीख से आपको शीघ्र अवगत करा दी जायेगी।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

(बिन्दु करुणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F26(4)() विटामिन-ए/IEC/ICDS/2017-18/188009-318 जयपुर, दिनांक : 24-10-18
प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, (RCH), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ
एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(उषा कुमारी)
सहायक निदेशक (आईईसी)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: आईसीडीएस/विटामिन-ए/18/ 389

दिनांक:- 15/10/2018

समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला शिशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारी
समस्त उप निदेशक, आईसीडीएस

विषय:-विटामिन-ए के 36 वे राउण्ड के क्रम में।

विषयान्तर्गत विटामिन ए का 36 वां राउण्ड जो 30 अक्टूबर 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक चलाया जाना था, को किन्ही अपरिहार्य कारणों से 30 अक्टूबर से नहीं चलाया जायेगा, उक्त विटामिन ए राउण्ड सम्पादन की अगली तारीख से आपको शीघ्र अवगत करा दिया जायेगा।




निदेशक (आर0सी0एच0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: आईसीडीएस/विटामिन-ए/18/ 389
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

दिनांक:- 15/10/2018

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, महिला एवं बाल विकास राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक आरसीएच।
5. सलाहकार, आईटी - ईमेल करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति।



निदेशक (आर0सी0एच0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर